

उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1  
संख्या-8/2017/आडिट-1-595/दस-2017-320(2)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 26 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, 30प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में उल्लिखित मण्डल/स्थान से स्थानान्तरित करते हुए कालम-5 में अंकित मण्डल/स्थान पर तत्काल प्रभाव से तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री नफीस अहमद	अम्बेडकर नगर	वाराणसी मण्डल	सहारनपुर मण्डल
2	श्री शिवनाथ वर्मा	अम्बेडकर नगर	पी0सी0एफ0 लखनऊ	झांसी मण्डल
3	श्री अरविन्द कुमार यादव	आजमगढ़	लखनऊ मण्डल	देवी पाटन मण्डल
4	श्रीमती कान्ति सिंह	इलाहाबाद	मेरठ मण्डल	गन्ना संघ लखनऊ
5	श्री योगेश बाजपेयी	लखनऊ	मुरादाबाद मण्डल	वाराणसी मण्डल
6	श्री बृजेश कुमार दीक्षित	कुशी नगर	झांसी मण्डल	बस्ती मण्डल
7	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	देवरिया	नव प्रोन्नत	मेरठ मण्डल

2- सम्बन्धित अधिकारी बगैर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानान्तरित मण्डल/स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

कुमुदलता श्रीवास्तव  
विशेष सचिव।

2/-

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-8/2017/आडिट-1-595(1)/दस-2017, तद्दिनांक

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
- 4- सम्बन्धित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 6- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

उमा द्विवेदी  
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।